समान नागरिक संहिता में उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रावधान

- वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलित व्यवस्थाओं में सम्पत्ति में उत्तराधिकार या इच्छापत्र (वसीयत) के अधिकारों में व्यापक विसंगति या भिन्नता रही है।
- उदाहरण के रूप में देखें तो अधिकांश प्रावधानों में मृतक की सम्पत्ति में माता, पति–पत्नी और बच्चों को तो अधिकार है, परन्तु पिता को अधिकार नहीं दिया गया है।
- इसी प्रकार एक ही व्यक्ति की सन्तानों में लिंग के आधार पर भी असमानता है। और भी अफसोस जनक बात यह है कि विवाहित और अविवाहित पुत्री को भी अलग–अलग अधिकार हैं।
- समान नागरिक संहिता में माता–पिता को मृतक की सम्पत्ति में एक अंश निर्धारित किया गया है। इसकी व्यवस्था धारा–49 के स्पष्टीकरण व अनुसूची–2 के श्रेणी–1 में की गई है।
- सम्पत्ति के अधिकार में पुत्र–पुत्री में व्यापक असमानता को दूर किया जा रहा है।
- यद्यपि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में भी इस भिन्नता को दूर करने के प्रयास किये गए, तथापि व्यक्ति की कृषि भूमि में पुत्र–पुत्री के अधिकारों में आज भी एकरूपता नहीं है।
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम व शरीयत अधिनियम में उत्तराधिकार की भिन्नता एवं पुत्री के अधिकार की विसंगतियों को समान नागरिक संहिता के भाग–2 के अध्याय–1 में दूर करते हुए एक व्यक्ति की समस्त सन्तानों को समान अधिकार प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- सदियों बाद उत्तराधिकार से सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकार में बेटा–बेटी एक समान का सिद्धान्त को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं।
- नैतिक रूप से हम देखें किसी महिला–पुरूष के बीच रिश्ता जायज/नाजायज हो सकता है, परन्तु किसी नाजायज रिश्ते से उत्पन्न होने वाली सन्तान पूर्ण रूप से निर्दोष होती है।
- निर्दोष होने के बावजूद कानून व समाज ऐसे बच्चों को नाजायज ही मानता रहा है, और अधिकांशतः माता–पिता की सम्पत्ति से भी वंचित रखता रहा है।

- यद्यपि समय के साथ सामाजिक सोच व व्यवस्था में परिवर्तन प्रारम्भ हुए हैं। परन्तु समान नागरिक संहिता ने एक प्रयास में ही ऐसे निर्दोष बच्चों के सम्मान और सम्पत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है।
- समान नागरिक संहिता में धारा–3(1–क) में किसी भी रिश्ते से उत्पन्न होने वाले बच्चे को परिभाषित कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर धारा–49 में, किसी भी प्रकार से उत्पन्न बच्चों को सम्पत्ति में समान रूप से अधिकार प्रदान कर दिया गया है।
- यह जीवन है जिसमें कब किस क्षण किसी को मृत्यु आ जाये कोई नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति में कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त सन्तानें जन्म लेती है, ऐसे गर्भस्थ शिशु के सम्पत्ति के अधिकारों में स्पष्टता नहीं रही है।
- यह कानून गर्भस्थ शिशु के अधिकारों को भी सुरक्षित करने का काम कर रहा है। इसके लिए इस संहिता के धारा–55 में अन्य सन्तानों की भांति गर्भस्थ शिशु को भी समान अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं।
- आज के जो हमारे कानून हैं उन कानूनों मे श्रवण कुमार और औरंगजेब जैसी सन्तानों में अन्तर नहीं किया गया है अर्थात पिता के सेवक और पिता के हत्यारे को सम्पत्ति में समान अधिकार हैं।
- समान नागरिक संहिता हत्यारे पुत्र को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित करने जा रही है। संहिता की धारा–58 में यह व्यवस्था की गई है। अब कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए हत्या करने जैसे जघन्य एवं घिनौने अपराध से दूर रहेगा।
- समान नागरिक संहिता में केवल उत्तराधिकार की विसंगतियों को ही दूर नहीं किया गया है, बल्कि वसीयत की विसंगतियों को भी दूर करते हुए सभी धर्म व सम्प्रदायों के व्यक्तियों के लिए अपनी सम्पत्ति पर वसीयत के समान अधिकार दिये जा रहे हैं।
- समान नागरिक संहिता की धारा–3(1–ड़), 3(3–झ) व अध्याय–2 यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से प्राप्त समस्त सम्पदा की वसीयत स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, और अपने जीवनकाल में वसीयत को बदल भी सकता है, चाहे तो वापस भी ले सकता है।

समान नागरिक संहिता : विवाह से संबंधित प्रमुख बिंदु, उनके परिणाम व स्पष्टीकरण

1– समान नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें कि युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

परिणाम : इसके परिणाम स्वरुप हम ऐसी बच्चियों का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न रोक पाएंगे, जिन्हें उनकी अच्छे बुरे की समझ विकसित होने से पहले ही जोर–जबरदस्ती करके विवाह करने को मजबूर कर दिया जाता था।

2– इस संहिता में पार्टीज टू मैरेज यानी किन–किन के मध्य विवाह हो सकता है, इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। विवाह एक पुरुष व एक महिला के बीच ही संपन्न हो सकता है।

परिणाम : विवाह किन दो जनों के मध्य हो सकता है, इसकी व्याख्या करके हमने अपने देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है, तथा समाज को एक स्पष्टता भी देने का प्रयास किया है।

3– इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

परिणाम : पति की एक से अधिक पत्नियां होने की स्थिति में वे महिलाएं मानसिक रूप से अत्यधिक असहज व प्रताड़ित रहती हैं। अब हमने अपनी माताओं बहनों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से और उन्हें मानसिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बिना तलाक लिए दूसरी शादी को इस संहिता में प्रतिबंधित कर दिया है।

4– अब तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से या अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है, तो इसके लिए तीन वर्ष की कैद अथवा एक लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।

परिणाम : ऐसा करने से हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी कुरीति सभ्य समाज में स्थान पाने लायक नहीं है, और हमारी सरकार ऐसी सभी कुरीतियों व कुप्रथाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5– विवाह के उपरांत वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी यदि बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा।

परिणाम : एक दूसरे के व्यक्तित्व, परिवार व धर्म–संस्कृति को समझने के उपरांत ही विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किया जाता है। यदि विवाह के बाद कोई बिना जानकारी के धर्म परिवर्तन करता है तो यह एक प्रकार का धोखा है और अपराध भी है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को तलाक लेने और शेष जीवन के लिए गुजारा भत्ता क्लेम करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। इस कानून ने उन्हें यही सुरक्षा प्रदान की है।

6– विवाह का पंजीकरण अब अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तथा जिला व राज्य स्तर पर इनका पंजीकरण कराना अब संभव होगा। प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी होगा जिस पर जाकर पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया फॉलो की जा सकती है।

परिणाम : उत्तराखंड के अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। विवाह व तलाक का पंजीकरण होने से अब पहला विवाह छुपा कर व महिला को धोखा देकर दूसरा विवाह करने वाले व्यक्ति का पता चल सकेगा। पंजीकरण होने से हमारी माता– बहनों में सुरक्षा का भाव भी जागृत होगा।

अब सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ भी उन्हीं को प्राप्त होगा जिन्होंने अपने विवाह को पंजीकृत कराया हो। हमारी सरकार योजनाओं व सुविधाओं को बिना किसी लीकेज के जन–जन तक पहुँचाना चाहती है, और अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए भी हमने इस कानून में पंजीकरण की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया है।

स्पष्टीकरण : पंजीकरण न होने की स्थिति में भी किसी विवाह को अवैध या अमान्य नहीं माना जाएगा। किन्तु सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। (अनिवार्य विवाह अधिनियम 2010 होने के बावजूद भी हम अभी तक मात्र 10% विवाहों का ही पंजीकरण कर सके हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्ति को इससे जोड़ने पर हम विवाहों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने में सफल रहेंगे और इसके बहुत से लाभ समाज को धीरे–धीरे समझ में आने लगेंगे)

7– एक महिला व एक पुरुष के मध्य होने वाले विवाह के धार्मिक/सामाजिक विधि–विधानों को इस संहिता में छेड़ा नही गया है। अर्थात वे लोग जिस पद्धति से भी विवाह करते चले आ रहे हैं, जैसे कि सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, होली– यूनियन या आनंद कारज अथवा इस प्रकार की अन्य परंपराएं, वे लोग उन्हीं प्रचलित परंपराओं के आधार पर विवाह संपन्न कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इस संहिता के पीछे का उद्देश्य सभी नागरिकों को उनके अधिकारों की समानता प्रदान करना है। हमारी संस्कृति व अच्छी परंपराएं बची रहें, तथा एक सभ्य समाज होने के नाते हम कुरीतियों को धीरे–धीरे कानून के माध्यम से दूर करते रहें, इस संहिता के माध्यम से हम सबका यही प्रयास रहा है।

(विवाह विच्छेदन – DIVORCE)

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सदन में एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी जरूरत सभी धर्मों के लोगों के लिए है। समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानून होगा जो जाति से परे, धर्म से परे, यहां तक कि आप स्त्री हैं या पुरुष, इससे भी परे होगा। यह सभी के लिए एक समान होगा।

● जिन लोगों की ' समरूप भारत' की अवधारणा में जरा भी विश्वास होगा वह जानते होंगे कि वउउ का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 19वीं शताब्दी में भी इस कानून की जरूरत महसूस की गई थी जब शासक न्याय करने में धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किया करते थे।

● अफसोस इस बात पर होता है कि भारत की आजादी के बाद भी निर्धन, असहाय लोगों और अबला नारियों के साथ यह भेदभाव जारी रहा।

● संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के तमाम सदस्यों के मन में भी कहीं न कहीं यह बात रही होगी कि देश में 'एक देश एक कानून' की तर्ज पर सद्भाव लाया जाना चाहिए। यही वजह थी कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की वकालत की गई।

● आजाद भारत की पहली सरकार यदि उसी वक्त संविधान में दी गई इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ जाती तो देश का सामाजिक सौहार्द और धर्म निरपेक्षता सर्वोच्च श्रेणी की होती। उस समय यह कानून राष्ट्रीय एकीकरण में भी सहायक साबित होता।

● यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के बाद दशकों तक देश में शासन करने वाले राजनैतिक दलों ने समान नागरिक संहिता के बारे में विचार करना तो दूर उस बारे में सोचा तक नहीं।

● यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से वउउ को लागू करने का आह्वान किया। न्यायालय ने कई बार सरकार से इस सम्बंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा लेकिन सरकार मौन साधे रही।

● ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त की सरकार को देश और जनता की फिक्रनहीं बल्कि सिर्फ सत्ता का लालच था। ऐसे राजनैतिक दल खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक समझते आए और उनके अधिकारों का हनन होता चला गया।

● हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण तथ्य के रूप में मौजूद हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों से परे सीआरपीसी को तरजीह दी, लेकिन तुष्टीकरण की सरकार ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर न्यायालय के फैसले को पलट दिया।

● वर्ष 1984 में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मुकदमे में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया।

● मुस्लिम पर्सनल लॉ से इतर सुप्रीम कार्ट ने फैसला दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत शाह बानो को गुजारा भत्ता के समान भरण पोषण राशि दी जाए। लेकिन कुछ राजनैतिक दलों ने इसे उग्र विवाद का विषय बना दिया।

● यह वो वक्त था जब इस फैसले से एक वर्ष पूर्व 1984 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ केन्द्र में सरकार बनाई थी। सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को सलाह दी कि यदि सरकार ने सवीच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून नहीं बनाया तो कांग्रेस को आगामी चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा।

● इस सलाह पर अमल करते हुए 1986 में कांग्रेसी केन्द्र सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित कर शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

● जबकि यही वह मामला था जिसमें सवीच्च न्यायालय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि भारत में समान नागरिक संहिता लाने के सम्बंध में संविधान का अनुच्छेद 44 मृत पड़ा हुआ है। सवीच्च न्यायालय की मंशा थी कि समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के बजाए देश में एक ऐसा कानून बने जो सभी जाति, पंथ या धर्म पर एक समान लागू हो।

● राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी उस परिकल्ना को साकार करने में लगे हुए हैं।

● प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि जब संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख किया गया है तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा।

● प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखण्ड से समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

● उत्तराखण्ड धार्मिक, सामरिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहां के सामाजिक ताने बाने में सौहार्द है। सभी लोग एक-दूसरे की भावनाओं और धार्मिक मन्यताओं का सम्मान करते हैं।

● खासतौर पर हमारे प्रदेश में मातृ शक्ति को बेहद सम्मान दिया जाता हैं। इसीलिए हमने सोचा कि सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए देश में सबसे मुफीद राज्य है।

● इस बिल का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है, जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू होगा।

● यूसीसी लागू न होने का सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक मातृ शक्ति को उठाना पड़ा। पुरुष लचर कानून का लाभ उठाकर बहुविवाह, तलाक आदि की व्यवस्था का लाभ उठाते रहे।

● यूसीसी लागू होने पर कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का भी जल्द निपटारा हो सकेगा। यूसीसी से मुस्लिम बहिनों की स्थिति बेहतर होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा।

● देश में सभी धर्मों के अलग–अलग पर्सनल लॉ है। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। लेकिन यूसीसी में शामिल बिंदुओं से अतिरिक किसी भी धर्म की मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं की गई है।

● कई सामाजिक बुराइयां धार्मिक रीति–रिवाजों की आड़ में पनपती हैं। इसमें गुलामी, देवदासी, दहेज, तीन तलाक, बाल विवाह या अन्य प्रथाएं शामिल हैं। यूसीसी इन सभी सामाजिक बुराइयों के खात्मे की गारंटी देता है।

● समानता, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण, कानूनों का सरलीकरण और धर्मनिरपेक्षता ये वो युगांतकारी परिवर्तन हैं जो यूसीसी लागू होने पर देखने को मिलेंगे।

लिव —इन रिलेशनशिप

समाज में पश्चिमी सभ्यता के असर ने आज हमारे देश में लिव–इन रिलेशनशिप को न चाहते हुए भी सामाजिक मान्यता दे दी हैं। चूंकि यह विषय हमारे समाज के बेटे बेटियों के भविष्य से भी जुड़ा हैं तो इससे उपजे परिणामों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को क़ानूनी दायरे में लाना आवश्यक था।

● इस विषय पर सवीच्च न्यायालय के कई फ़ैसलो से अब स्पष्टता आई हैं, इसके बावजूद हालिया कुछ घटनाओं ने पूरे समाज और व्यवस्था को इस पर पुनः गंभीरता से विचार करने पर भी विवश कर दिया हैं, क्योंकि यह परिवार, विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलो पर प्रभाव डालने लगा है।

● भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लिव–इन रिलेशनशिप का यह मुद्दा सहमति बनाम स्थापित सामाजिक नैतिक मानदंड से जुड़ा है। देश में हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कानून बनाए गए हैं और उसकी सुरक्षा की गई है लेकिन अधिकार बनाम सामाजिक व्यवस्था में संतुलन भी जरूरी है।

● इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता में लिव–इन रिलेशनशिप पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है।

● इस एक्ट में यह प्रावधान किया है कि लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और उसको लिव– इन रिलेशनशिप में रहने से पहले पहचान करने के उद्देश्य से एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा व 21 वर्ष से कम के लडका और लड़की दोनों को इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोनों के माता पिता को देनी अनिवार्य होगी।

● जिससे लिव–इन युगल के माता–पिता को भी यह पता रहे कि उनके बेटे बेटियाँ किसके साथ किस रिश्ते में कहाँ रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सोच समझकर इस एक्ट में यह प्रावधान रखा है।

● दरअसल लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे एडल्ट्री की संभावना को रोकना, लिव–इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों की वैधता के प्रश्न को भी हैंडल करना,भरण पोषण राशि देने से जुड़े सवाल भी इसमें निहित हैं और सबसे बड़ी बात यह कि,जब भी लिव–इन रिलेशनशिप में कोई युगल रहता है तो अंतर धार्मिक संपर्कों में कोई झूठी सूचना या पहचान को छुपा कर किसी को धोखा में रखने जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सके।

● कई मामलों में देखा गया है कि अगल-अलग धर्मों के युगल बिना सोच विचार के जब लिव–इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो बाद में उन्हें कई प्रकार की सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे धर्म, विचार, मान्यता, पूजा पाठ पद्धतियों, खानपान से जुड़े मामलों में अंतर।

● ऐसे में कम समय में ही जो एडजस्टमेंट और एकोमोडेट करने की भावना होती है वह टूट जाती है। लिव–इन रिलेशन से ब्रेक अप के बाद कई बार ब्लैकमेलिंग, आत्महत्या या हत्या जैसे गंभीर नकारात्मक प्रवृत्तियों के विवाद भी देखे जाते है।

● समान नागरिक संहिता में नवीन प्रावधानो द्वारा इन सब समस्याओं से हम अपने बेटे बेटियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकेंगे।

● वैसे तो संविधान का अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नागरिकों को कही भी रहने और बसने का अधिकार देता है लेकिन इसे नैतिक आचरणों, शालीनता, सदाचार के तहत होना भी आवश्यक है। लिव– इन रिलेशन की प्रथा को सुस्थापित परंपराओं को खतरे में डालने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

● इसलिए उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया है ताकि ऐसे जोड़ों को कहीं रहने के लिए किराए पर मकान लेने या अन्य पहचान की आवश्यकताओं पर कोई कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े।

● इस पहचान की अनिवार्यता से लिव–इन रिलेशनशिप का गंभीरता से निर्वहन करने वालों को नैतिक संबल तो मिलेगा ही, साथ ही व्यवस्था या सरकार को भी पहचान के पंजीकरण से किसी भी विवाद की स्थिति में क़ानूनी स्पष्टता पाने में भी आसानी होगी।

● इस प्रकार उत्तराखंड की युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी लिव–इन रिलेशनशिप क़ानून में कोई बदलाव नही किए हैं मात्र इसे एक अनुचित प्रथा बनने से रोकने के लिए जो ज़रूरी हैं वह प्रावधान किए हैं।

● लिव– इन रिलेशन के मामलों में पारदर्शिता और युगल की जवाबदेही को उत्तराखंड सरकार जरूरी मानती है। इस प्रथा से नैतिक मानदंडों का ह्रास न हो और हमारी बेटियों को सुरक्षा मिल सके, यह उत्तराखंड सरकार ने सुनिश्चित किया है।